

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सं. 4/2019-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 64(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 609(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) आरंभिक पैरा में, क्रम संख्यांक (ट) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ठ) केंद्रीय कर संयुक्त आयुक्त (अपील),”;

(ii) पैरा 2 में, क्रमसंख्यांक ग के पश्चात् शब्दों, “केंद्रीय कर अपर आयुक्त” के पश्चात् “या संयुक्त आयुक्त” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) पैरा 4 में, शब्दों और कोष्ठकों “अपर आयुक्त (अपील)” के स्थान पर “संयुक्त आयुक्त (अपील) की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iv) सारणी 1 और सारणी 2 में, शब्दों “अपर आयुक्त” जहां कहीं वे आए हों, के पश्चात् “या संयुक्त आयुक्त” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर तारीख 19 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 609(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 1283(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2018 केंद्रीय कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

No. 04/2019-Central Tax

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers under section 3 read with section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.2/2017- Central Tax, dated the 19th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017, namely: -

In the said notification, -

(i) in the opening paragraph, after serial number (k) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“(l) Joint Commissioner of Central Tax (Appeals),”;

- (ii) in paragraph 2, in serial number (c), after the words, “Additional Commissioners”, the words “or Joint Commissioners” shall be inserted;
- (iii) in paragraph 4, for the words and brackets “Additional Commissioners of Central Tax (Appeals)”, the words and brackets “any officer not below the rank of Joint Commissioner (Appeals)” shall be substituted;
- (iv) in Table I and Table III, after the words, “Additional Commissioner”, wherever they appear, the words “or Joint Commissioner” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

[F. No. 20/06/16/2018-GST (Pt. II)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.2/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017 and was last amended vide notification No.79/2018 - Central Tax, dated the 31st December, 2018, published vide number G.S.R. 1283 (E), dated the 31st December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सं. 5/2019-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 65(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 648(अ), तारीख 27 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017- केंद्रीय कर, तारीख 27 जून, 2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, शब्दों “निम्नलिखित की दर पर संगणित रकम” से प्रारंभ होने वाले और “अन्य प्रदायकर्ताओं के मामले में संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त का आधा प्रतिशत” शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर “केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 7 में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना अधिसूचना सं. 8/2017- केंद्रीय कर तारीख 27 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 648(अ), तारीख 27 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 02(अ) तारीख 1 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2018 केंद्रीय कर, तारीख 1 जनवरी, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

No. 05/2019—Central Tax

G.S.R. 65(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of